छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग - एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

षष्ठम् विधान सभा | दशम् सत्र | अंक-3

नवा रायपुर अटल नगर, बुधवार, दिनांक 15 जुलाई, 2026

(आषाढ़ 24, शक संवत् 1948)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (डॉ.रमन सिंह) पीठासीन हुए।)

1. प्रश्नकाल

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01, 02, 03, 04, 05 (कुल 05) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये ।

तारांकित प्रश्न संख्या- 01 के प्रश्नकर्त्ता सदस्य श्री भूपेश बघेल के स्थान पर श्री अटल श्रीवास्तव, सदस्य अधिकृत रहे।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 81 तारांकित एवं 95 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे ।

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री विष्णुदेव साय, मुख्यमंत्री ने कंपनी अधिनियम, 2013 (क्रमांक 18 सन् 2013) की धारा 395 की उपधारा (1) के पद (बी) की अपेक्षानुसार :-

(i) छत्तीसगढ़ मिनरल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड का बीसवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2020-21, इक्कीसवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2021-22 तथा बाईसवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2022-23 एवं

(ii) छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2019-20,

(2) श्री लखन लाल देवांगन, श्रम मंत्री ने छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना (नियोजन एवं सेवा की शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 2017 (क्रमांक 21 सन् 2018) की धारा 28 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक RULE-8/65/2026-LABOUR, दिनांक 3 जून, 2026,

(3) श्री लखन लाल देवांगन, श्रम मंत्री ने कारखाना अधिनियम, 1948 (क्रमांक 63 सन् 1948) की धारा 115 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक ESTB/296/2026-LABOUR, दिनांक 9 मार्च, 2026 तथा

(4) श्री श्याम बिहारी जायसवाल, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास मंत्री ने छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1996 (क्रमांक 15 सन् 1996) की धारा 13 की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2025-26,

पटल पर रखे ।

3. सदन को सूचना

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि-

(1) आज दिनांक 15 जुलाई, 2026 को सायं 6.00 बजे विधान सभा परिसर स्थित नवनिर्मित प्रेक्षागृह का लोकार्पण तथा उत्कृष्ट विधायक, उत्कृष्ट संसदीय पत्रकार एवं उत्कृष्ट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रिपोर्टर को पुरस्कृत करने हेतु उत्कृष्टता अलंकरण समारोह माननीय राज्यपाल महोदय श्री रमेन डेका के मुख्य आतिथ्य में विधानसभा परिसर स्थित प्रेक्षागृह में आयोजित है। उत्कृष्टता अलंकरण समारोह के पश्चात सांस्कृतिक कार्यक्रम, संस्कृति विभाग के माध्यम से सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति, पश्चात् रात्रि भोज आयोजित है। समस्त विधायकगण एवं पत्रकारगण कार्यक्रम में सादर आमंत्रित हैं।

(2) आज भोजन अवकाश नहीं होगा। आज भोजन की व्यवस्था मुख्यमंत्री (श्री विष्णुदेव साय) की ओर से माननीय सदस्यों के लिये लॉबी स्थित कक्ष में एवं पत्रकारों के लिए प्रथम तल पर पत्रकार कक्ष के समीप भोजन कक्ष में की गयी है। कृपया सुविधानुसार भोजन ग्रहण करें।

4. पृच्छा

श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य ने तखतपुर नगरपालिका क्षेत्र के शहर में भी और आसपास के गांवों में पिछले 4 वर्षों से नगर ग्राम निवेश अधिनियम, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग एक्ट की धारा

16 के कारण डायवर्सन की प्रक्रिया बंद होने से लोगों को हो रही परेशानी की ओर आसंदी का ध्यान आकर्षित किया।

डॉ.चरणदास महंत, नेता प्रतिपक्ष ने रायपुर में ग्राम नकटी के रहवासियों के आवासों को तोड़े जाने के संबंध में आसंदी का ध्यान आकर्षित किया एवं इस संबंध में दिये गये स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा कराए जाने की मांग की । सर्वश्री उमेश पटेल, कवासी लखमा, देवेन्द्र यादव, रामकुमार यादव, कुंवर सिंह निषाद, लखेश्वर बघेल सदस्यों ने भी स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा कराये जाने की मांग की।

माननीय अध्यक्ष ने स्थगन प्रस्ताव पर सदस्यों के विचार एवं शासन का वक्तव्य सुनने के पश्चात् स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों ने नारेबाजी करते हुए सदन के गर्भगृह में प्रवेश किया)

5. गर्भगृह में प्रवेश पर स्वमेव निलंबन

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 250 (1) के अधीन निम्नलिखित सदस्य सभा की कार्यवाही से स्वमेव निलंबित हो गये है :-

डॉ. चरणदास महंत, सर्वश्री कवासी लखमा, श्रीमती अनिला भेंडिया, सर्वश्री उमेश पटेल, लखेश्वर बघेल, दलेश्वर साहू, भोलाराम साहू, लालजीत सिंह राठिया, श्रीमती उत्तरी गनपत जांगड़े, सर्वश्री दिलीप लहरिया, रामकुमार यादव, द्वारिकाधीश यादव, श्रीमती संगीता सिन्हा, सर्वश्री कुंवर सिंह निषाद, देवेन्द्र यादव, श्रीमती यशोदा निलाम्बर वर्मा, श्री इंद्रशाह मंडावी, श्रीमती सावित्री मनोज मण्डावी, श्री विक्रम मण्डावी, श्रीमती विद्यावती सिदार, सर्वश्री फूलसिंह राठिया, अटल श्रीवास्तव, राघवेन्द्र कुमार सिंह, ब्यास कश्यप, बालेश्वर साहू, श्रीमती शेषराज हरवंश, श्रीमती चातुरी नंद, श्रीमती कविता प्राण लहरे, सर्वश्री संदीप साहू, इंद्र साव, जनक ध्रुव, ओंकार साहू, श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल ।

माननीय अध्यक्ष ने निलंबित सदस्यों से आग्रह किया कि वे सभा भवन से बाहर चले जायें।

6. निलंबन समाप्ति की घोषणा

माननीय अध्यक्ष ने प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 250 (1) के तहत् निलंबित माननीय सदस्यों का निलंबन समाप्त करने की घोषणा की ।

7. ध्यानाकर्षण सूचना

(1) डॉ.चरणदास महंत, श्रीमती शेषराज हरवंश, श्री विक्रम मण्डावी सदस्य ने इन्द्रावती टायगर रिजर्व में बाघों का शिकार किये जाने की ओर वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

(सभापति महोदय (श्री धर्मजीत सिंह) पीठासीन हुए।)

श्री केदार कश्यप, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(2) श्री राजेश मूणत ने शासकीय मुद्रणालय के प्रिंटिंग कार्य में अनियमितता किये जाने की ओर राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री टंकराम वर्मा, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

8. नियम 267-क के अन्तर्गत विषय

माननीय सभापति की घोषणानुसार अनुसार निम्नलिखित माननीय सदस्यों की नियम 267-क के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं सदन में पढ़ी हुई मानी गईं ।

(1) श्री रोहित साहू
(2) श्री अजय चन्द्राकर
(3) श्री मोतीलाल साहू
(4) श्री राजेश मूणत
(5) श्री बघेल लखेश्वर

9. गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के प्रथम प्रतिवेदन की प्रस्तुति एवं पारण

श्री विक्रम उसेण्डी, सभापति ने गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का प्रथम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। प्रतिवेदन इस प्रकार है :-

समिति ने सदन के समक्ष गुरूवार, दिनांक 16 जुलाई, 2026 को चर्चा के लिए आने वाले गैर सरकारी सदस्यों के कार्य पर विचार किया तथा निम्नलिखित अशासकीय संकल्पों पर

चर्चा के लिए निम्नानुसार समय निर्धारित करने की सिफारिश की है :-

अशासकीय संकल्प क्र.	सदस्य का नाम	समय
(क्रमांक-07)	श्री अजय चन्द्राकर	30 मिनट
(क्रमांक-28)	श्री सुशांत शुक्ला	30 मिनट

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

10. याचिकाओं की प्रस्तुति

माननीय अध्यक्ष की घोषणानुसार निम्नलिखित सदस्यों की याचिकाएं सदन में पढ़ी हुई मानी गईं :-

1. श्री कुंवर सिंह निषाद
2. श्रीमती सावित्री मनोज मंडावी
3. श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह

11. शासकीय विधि विषयक कार्य

माननीय अध्यक्ष ने सदन की सहमति से घोषणा की कि उन्होंने छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 65 के उप नियम (1) तथा अध्यक्ष के स्थायी आदेश क्रमांक 24 को शिथिल कर निम्न विधेयकों को पुर:स्थापन करने की अनुमति प्रदान की है :-

(1) छत्तीसगढ़ अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा (संशोधन) विधेयक, 2026 (क्रमांक 13, सन् 2026)

(2) छत्तीसगढ़ औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन (संशोधन) विधेयक, 2026 (क्रमांक 14, सन् 2026)

(3) छत्तीसगढ़ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस विधेयक, 2026 (क्रमांक 15, सन् 2026)

(1) छत्तीसगढ़ अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा (संशोधन) विधेयक, 2026 (क्रमांक 13, सन् 2026)

श्री विजय शर्मा, उपमुख्यमंत्री (गृह) ने छत्तीसगढ़ अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा (संशोधन) विधेयक, 2026 (क्रमांक 13, सन् 2026) पुर:स्थापित किया।

(2) छत्तीसगढ़ औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन (संशोधन) विधेयक, 2026 (क्रमांक 14, सन् 2026)

श्री लखनलाल देवांगन, वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने छत्तीसगढ़ औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन (संशोधन) विधेयक, 2026 (क्रमांक 14, सन् 2026) पुर:स्थापित किया।

(3) छत्तीसगढ़ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस विधेयक, 2026 (क्रमांक 15, सन् 2026)

श्री लखनलाल देवांगन, वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने छत्तीसगढ़ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस विधेयक, 2026 (क्रमांक 15, सन् 2026) पुर:स्थापित किया।

(4) छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 2026 (क्रमांक 9 सन् 2026)

श्री श्याम बिहारी जायसवाल, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 2026 (क्रमांक 9, सन् 2026) पर विचार किया जाये।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री मोतीलाल साहू ने चर्चा प्रारंभ की।

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह, सदस्य ने चर्चा में भाग लिया।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

विधेयक पर खण्डश: विचार हुआ।

खण्ड 2 से 10 इस विधेयक का अंग बने।

खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियम सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 2026 (क्रमांक 9, सन् 2026) पारित किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पारित हुआ।

बुधवार, 15 जुलाई, 2026

(5) छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) विधेयक, 2026 (क्रमांक 10, सन् 2026)

श्री टंकराम वर्मा, उच्च शिक्षा मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) विधेयक, 2026 (क्रमांक 10, सन् 2026) पर विचार किया जाये।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अजय चन्द्राकर, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की।

(सभापति महोदया (सुश्री लता उसेण्डी) पीठासीन हुईं।)

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

सर्वश्री दलेश्वर साहू, रोहित साहू, उमेश पटेल, ईश्वर साहू

श्री टंकराम वर्मा, उच्च शिक्षा मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

(श्री उमेश पटेल, सदस्य के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों ने छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) विधेयक, 2026 (क्रमांक 10, सन् 2026) को औचित्यहीन बताते हुए सभा की कार्यवाही का बहिष्कार किया।)

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ।

खण्ड 2 से 9 इस विधेयक का अंग बने।

खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

श्री टंकराम वर्मा, उच्च शिक्षा मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) विधेयक, 2026 (क्रमांक 10, सन् 2026) पारित किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पारित हुआ।

(6) छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2026 (क्रमांक 11, सन् 2026)

श्री श्याम बिहारी जायसवाल, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2026 (क्रमांक 11, सन् 2026) पर विचार किया जाये।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अमर अग्रवाल, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

विधेयक पर खण्डश: विचार हुआ।

खण्ड 2 से 5 इस विधेयक का अंग बने।

खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2026 (क्रमांक 11, सन् 2026) पारित किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पारित हुआ।

(7) छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2026 (क्रमांक 12, सन् 2026)

श्री श्याम बिहारी जायसवाल, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2026 (क्रमांक 12, सन् 2026) पर विचार किया जाये।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अमर अग्रवाल, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

विधेयक पर खण्डश: विचार हुआ।

खण्ड 2 से 4 इस विधेयक का अंग बने।

खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2026 (क्रमांक 12, सन् 2026) पारित किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पारित हुआ।

अपराह्न 3.19 बजे विधान सभा की कार्यवाही गुरूवार, दिनांक 16 जुलाई, 2026 (आषाढ़ 25, शक संवत् 1948) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई ।

दिनेश शर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा